UPSB010034862026

न्यायालय Addl. District and Sessions Judge/Special Judge (POCSO), Sonbhadra

पीठासीन अधिकारी– (OMKAR SHUKLA), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP02674

Bail Application/1491/2026

आशीष कुमार उम्र 19 वर्ष पुत्र राजू कुमार निवासी बघुआरी, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र **........आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **.......अभियोजन पक्ष**

12.08.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **आशीष कुमार** की ओर से मु0अ0सं0–517 सन् 2026, धारा–137(2), 87, 64(2)एम, 65(1), 115(2), 352, 351(3) भा0 न्याय संहिता एवं धारा–3/4(2), 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ।

2. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त कारागार में निरूद्ध है।

3. अभियोजन कथानक का सारांश इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मुन्नू की ओर से दिनांक 15.06.2026 को पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र के समक्ष इस आशय की तहरीर दाखिल की गयी कि वादी की नाबालिग नातिन/पीड़िता का विवाह लगभग तीन माह पूर्व ग्राम अमौली, पोस्ट तरावां, जनपद सोनभद्र में हुआ था। दिनांक 09.06.2026 को लगभग 01 बजे दिन की घटना है। घटनास्थल नातिन का ससुराल ग्राम अमौली है। वादी को जानकारी प्राप्त हुई कि विपक्षी आशीष पुत्र राजू अपनी पारिवारिक मिलीभगत से वादी की नाबालिग नातिन को उसके ससुराल से बहला फुसलाकर भगा ले गया है। उक्त कृत्य में राजू पुत्र अज्ञात, मनीष पुत्र राजू, गीता पत्नी राजू का भी पूर्ण सहयोग एवं सहभागिता है। विपक्षी आशीष पूर्व में भी कई बार वादी की नाबालिग नातिन को जान से मारने की धमकी देकर एवं बहला फुसलाकर ले जाने का प्रयास कर चुका है तथा इस संबंध में कई बार शिकायतें भी की गयी थी। सामाजिक स्तर पर एवं थाने पर कई बार सुलह समझौता भी कराया गया, किन्तु विपक्षी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। विवाह से पूर्व भी विपक्षी द्वारा वादी की नातिन का शोषण किया गया तथा गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गयी कि यदि थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया तो गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे। परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान को ध्यान में रखते हुए उस समय मामले को सार्वजनिक नहीं किया गया। अब विपक्षीगण वादी की

Digitally signed by OMKER SHUKLA
Date: 2026.08.12 16:51:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sonbhadra

नाबालिग नातिन को उसके ससुराल से भगा ले गए हैं। वादी को आशंका है कि उसकी नातिन के साथ विपक्षीगण कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं।

4. वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में दिनांक 19.06.2026 को मु0अ0सं0–517 सन् 2026 पर अभियुक्तगण आशीष, राजू, मनीष तथा गीता के विरूद्ध धारा–87, 115(2), 352, 351(3) भा0 न्याय संहिता के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलम्ब से दर्ज कराया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक को गलत ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में बताया गया है कि उसने नाबालिग पीड़िता की शादी तीन माह पूर्व किया था। वादी मुकदमा द्वारा पीड़िता की शादी दिनांक 26.04.2026 को सुनील कुमार के साथ किया है। यदि वादी मुकदमा द्वारा नाबालिग पीड़िता की शादी की गयी है तो पीड़िता के माता पिता एवं मुकदमा वादी तथा पीड़िता का पिता एवं उसके सास ससुर द्वारा गम्भीर अपराध किया गया है। वादी मुकदमा ने कुछ दिन पहले भी आवेदक/अभियुक्त तथा उसके घर वालों पर मार पीट कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था जिसकी विवेचना के दौरान पता चला कि पीड़िता की विदाई के बाद बाप–बेटा व नाती एवं अन्य परिवार के लोगों द्वारा शराब का सेवन करने में आपस में ही मार पीट कर आवेदक/अभियुक्त व उसके घर वालों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–441 सन् 2026 दर्ज करा दिया था जिसमें एफ0आर0 लगायी गयी है। कथित घटना की पीड़िता आवेदक/अभियुक्त के साथ कहीं नहीं गयी है और न ही आवेदक/अभियुक्त से बात ही की है। विवेचक द्वारा बार–बार फोन करके उसे थाने पर बुलाया गया और थाने पर बैठा लिया गया। विवेचक एवं पीड़िता के माता पिता ने लड़की से जान बूझकर फंसाने के उद्देश्य से डरा धमका कर बयान कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

6. आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर अपना पक्ष रखने हेतु वादी मुकदमा को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जो उस पर तामील हुआ है। वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और उनके द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया।

7. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग/नातिन को बहला फुसला कर उसके ससुराल से अपने साथ ले जाया गया और यह जानते हुए कि पीड़िता अवयस्क है, के साथ बार–बार बलात्संग/प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया

गया तथा पीड़िता को मार पीट कर उपहति कारित किया गया एवं उसे गालियां तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 एवं 183 बी0एन0एस0एस0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी है। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

8. मेरे द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी एवं थाने की आख्या का अवलोकन किया गया।

9. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा अपनी नाबालिग नातिन को अभियुक्त द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा उसे मारने पीटने एवं गालियां तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

10. केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दौरान विवेचना पीड़िता स्वयं अपनी माता के साथ थाने पर आयी और बतायी कि वह दिनांक 25.07.2026 को घर वापस आ गयी। तदोपरान्त पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 अंकित कराया गया जिसमें पीड़िता द्वारा अपनी उम्र 18 वर्ष बताते हुए कथन किया है कि वह कक्षा–11 तक पढ़ी है। वह आशीष से 04 साल से प्यार करती थी जिससे मेरा कई बार शारीरिक संबंध भी रहा। मैं उससे शादी करना चाहती थी किन्तु घर वाले नहीं चाहते थे। मेरी शादी 23 अप्रैल 2026 को सुनील पुत्र राम नरेश निवासी अमौली के साथ हुई थी। मैं उसके घर भी गयी थी लेकिन उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बना था। आशीष मुझसे शादी करने का वादा किया था। आशीष के कहने पर मैं अमौली से अकेली बंगलौर चली गयी।

11. बयान अन्तर्गत धारा–183बी0एन0एस0एस0 में भी पीड़िता द्वारा कथन किया गया है कि, ''मैं कक्षा–11 तक पढ़ी हूं। मेरी जन्म तिथि 01.01.2008 है लेकिन स्कूल में मेरी जन्म तिथि 01.01.2011 लिखी हुई है। मेरी शादी मेरे घर वाले दिनांक 23.04.2026 को सुनील से करवा दिये थे। मैं अपने ससुराल 4 दिन रही फिर चौथी के बाद मायके आ गयी और कुछ दिन मायके रहने के बाद अपने ससुराल गयी। मैं शादी से 4 साल पहले से ही अपने गांव में रहने वाले आशीष से प्यार करती हूं। मेरे घर वालों को यह बात पता चला गई तो उन्होंने मेरी शादी सुनील से करवा दी। शादी के बाद भी मेरी बात आशीष से होती थी। आशीष ने कहा कि तुम यहां से भागकर बंगलौर चली आओ फिर मैं भी आ जाऊंगा तो मैं दिनांक 09.06.2025 को दोपहर दो बजे बिना किसी को बताये अपने ससुराल से निकल गयी और अकेली बंगलौर चली गयी। बंगलौर जाकर

मैं एक रूम लेकर एक कम्पनी में काम करने लगी। मैंने आशीष को बंगलौर पहुंचकर फोन किया, आने के लिये तो वह बोला कि तुम्हारे दादा जी ने मेरे और मेरे घर वालों के विरूद्ध मुकदमा कर दिये हैं इसलिए मैं बंगलौर नहीं आ पा रहा हूं। मैं आशीष से प्यार करती हूं इसलिए ससुराल से भागी थी कि मैं आशीष से शादी कर लेंगे। मेरे और आशीष के बीच कई बार मर्जी से शारीरिक संबंध बने हैं। मैं आशीष एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं इसलिए मैं अपने ससुराल से भागी थी। आशीष के घर वालों को कुछ नहीं पता है न ही उन्होंने मुझे भगाया है।''

12. केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा पीड़िता का शैक्षणिक प्रपत्र प्राप्त किया गया है जिसमें उसकी जन्म तिथि 01.01.2011 दर्शायी गयी है और प्रस्तुत प्रकरण की घटना दिनांक 09.06.2026 की है। इस प्रकार पीड़िता की जन्म तिथि से गणना करने पर कथित घटना के समय उसकी आयु 16 वर्ष से कम थी। पीड़िता द्वारा अपने बयान में यह बताया है कि कथित घटना के 04 वर्ष पूर्व से वह अभियुक्त आशीष से प्यार करती थी और दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध स्थापित हुए हैं।

13. केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीड़िता के बयान तथा उसकी उम्र को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में धारा–137(2), 87, 64(2)एम, 65(1), 115(2), 352, 351(3) भा0 न्याय संहिता एवं धारा–3/4(2), 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की बढ़ोत्तरी की गयी है।

14. थाना राबर्ट्सगंज द्वारा आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि इस अभियोग के अतिरिक्त आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में दो अन्य अभियोग भी पंजीकृत हैं जो निम्वत हैः–

1. मु0अ0सं0–184/2025, धारा–115(2), 117(2), 126(2), 351(2) भा0 न्याय संहिता, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र,
2. मु0अ0सं0–441/2026, धारा–115(2), 191(2), 351(3), 352 भा0 न्याय संहिता, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

15. आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा की नाबालिग नातिन/पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने तथा पीड़िता के साथ बार–बार बलात्संग/प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किए जाने एवं मार पीट, गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने का गम्भीर अभियोग है। पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 एवं 183 बी0एन0एस0एस0 में बताया है कि वह आवेदक/अभियुक्त से 04 वर्ष पूर्व से प्यार करती थी और दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध स्थापित

हुए हैं। मामला नाबालिग पीड़िता के साथ लैंगिक अपराध कारित किए जाने से सम्बन्धित है। प्रकरण की गम्भीरता तथा आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास आदि को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण–दोष पर विचार व्यक्त किए वगैर आवेदक/अभियुक्त के जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>–:आदेश:–</u>

आवेदक/अभियुक्त **आशीष कुमार** की ओर से मु0अ0सं0–517 सन् 2026, धारा–137(2), 87, 64(2)एम, 65(1), 115(2), 352, 351(3) भा0 न्याय संहिता एवं धारा–3/4(2), 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–12.08.2026

(ओमकार शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट, सोनभद्र
जे0ओ0 कोड–2674